

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र  
सत्यमेव जयते  
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-30032021-226254  
SG-DL-E-30032021-226254

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 108]	दिल्ली, मंगलवार, मार्च 30, 2021/ चैत्र 9, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 387
No. 108]	DELHI, TUESDAY, MARCH 30, 2021/ CHAITRA 9, 1943	[N. C. T. D. No. 387

भाग IV  
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 30 मार्च, 2021

सं.एफ. 1/140/2012/गु.चु.नि./3127.—यद्यपि, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (सदस्यों का निर्वाचन) नियम 1974 के नियम 3 के अंतर्गत दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के चुनावों का अधीक्षण, निर्देश एवं नियंत्रण दिल्ली सिख गुरुद्वारा निदेशालय के अंतर्गत है;

एवं, यद्यपि यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के चुनाव हेतु मान्यताप्राप्त दलों द्वारा नामांकित उम्मीदवारों और स्वतंत्र उम्मीदवारों को उनकी पसंद के चुनाव चिन्हों का आबंटन किया जाये।

अतः दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. एफ.1/62/गु.चु.नि./2008(2)/1695 दिनांक 28.07.2010, द्वारा यथा-संशोधित दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (सदस्यों का निर्वाचन) नियम 1974 के नियम 14 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेशक, गुरुद्वारा चुनाव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, निम्नलिखित आदेश पारित करते हैं:-

**1. संक्षिप्त शीर्षक, आवेदन एवं प्रारम्भ**

यह आदेश दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आबंटन) आदेश, 2021 कहा जाएगा।

यह आदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

**2. धार्मिक दलों की मान्यता:**

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (सदस्यों का चुनाव) नियम, 1974 के नियम 14 के अंतर्गत मान्यताप्राप्त धार्मिक दलों द्वारा मनोनीत उम्मीदवारों को निम्नलिखित आरक्षित चुनाव चिन्ह आबंटित किये जाते हैं :-

सं.	मान्यताप्राप्त धार्मिक दल का नाम	अधिसूचना सं. एवं दिनांक	आरक्षित चिन्ह	आबंटित
1.	पंथक सेवा दल	सं.एफ. 1/140/2012/गु.चु.नि./276 दिनांक 31.01.2017	ट्रेक्टर चलाता किसान	
2.	आम अकाली दल	सं.एफ. 1/140/2012/गु.चु.नि./283 दिनांक 31.01.2017	ब्लैक बोर्ड	
3.	जागो – जग आसरा गुरु ओट (जलथेदार संतोख सिंह)	सं.एफ. 1/343/गु.चु.नि./2020/5736 दिनांक 21.07.2020	किताब	
4.	पंथिक अकाली लहर	सं.एफ. 1/454/गु.चु.नि./2020/7861 दिनांक 16.12.2020	मोमबत्ती	
5.	सिख सदभावना दल	सं.एफ. 1/392/गु.चु.नि./2020/189 दिनांक 08.01.2021	टेबल लैंप	
6.	शिरोमणी अकाली दल दिल्ली	सं.एफ. 1/503/गु.चु.नि./2021/3043 दिनांक 28.03.2021	कार	

**3. अन्य (स्वतंत्र) उम्मीदवारों द्वारा चुने जाने योग्य मुक्त चिन्हों की सूची निम्न प्रकार है:-**

सं.	चिन्ह का नाम	सं.	चिन्ह का नाम
1.	अलमारी	12.	कप और प्लेट
2.	कुल्हाड़ी	13.	डीजल पम्प
3.	गेंद	14.	बांसुरी
4.	केला	15.	शाखाओं पर पत्तियों सहित फूल
5.	चूड़ियाँ	16.	गैस सिलेण्डर
6.	टोकरी	17.	हैण्ड पम्प
7.	बल्ला	18.	ताला और चाबी
8.	ईट	19.	प्रेशर कुकर
9.	ब्रश	20.	टेबल
10.	कैमरा	21.	टेलीविजन

11.	छत का पंखा	22.	सीटी
-----	------------	-----	------

चुनाव चिन्ह 'बाल्टी' को लंबित मुकदमे के कारण फ्रीज कर दिया गया है।

#### 4. चिन्हों का आबंटन-

इस आदेश के प्रावधानों के अनुसार किसी एक वार्ड के लिए चुनाव लड़ रहे प्रत्येक उम्मीदवार को एक चुनाव चिन्ह आबंटित किया जायेगा जो उसी वार्ड से चुनाव लड़ रहे अन्य उम्मीदवारों से भिन्न होगा।

#### 5. चिन्हों का वर्गीकरण -

(1) इस आदेश का उद्देश्य आरक्षित या स्वतंत्र चुनाव चिन्हों से है।

(2) एक आरक्षित चुनाव चिन्ह वह है जोकि एक मान्यताप्राप्त धार्मिक दल के लिये आरक्षित है जोकि उस दल द्वारा मनोनीत उम्मीदवारों को ही केवल दिया जायेगा, अन्यथा इस आदेश में अन्य प्रावधान किया गया हो।

(3) एक मुक्त चिन्ह आरक्षित चिन्ह से भिन्न अन्य चिन्ह है।

**6. मान्यताप्राप्त धार्मिक दलों के उम्मीदवारों द्वारा चिन्हों का चयन एवं आबंटित किया जाना -** एक मान्यताप्राप्त धार्मिक दल के मनोनीत उम्मीदवार द्वारा दिल्ली के किसी भी गुरुद्वारा वार्ड से चुनाव हेतु चुनाव चिन्ह का चयन किया जाएगा और आबंटन किया जाएगा, जो कि उस दल के लिए आरक्षित है, न कि अन्य चुनाव चिन्ह।

#### 7. अन्य उम्मीदवार द्वारा चुनाव चिन्हों का आबंटन -

(i) एक उम्मीदवार को गुरुद्वारा वार्ड के किसी भी चुनाव में, मान्यताप्राप्त धार्मिक दलों द्वारा मनोनीत उम्मीदवारों से अलग, मुक्त चुनाव चिन्हों में से एक चुनाव चिन्ह आबंटित किया जाएगा।

(ii) जहां पर चुनाव में केवल एक उम्मीदवार द्वारा ही किसी स्वतंत्र चिन्ह का चयन किया गया है, वहाँ निर्वाचन अधिकारी द्वारा वह चुनाव चिन्ह उस उम्मीदवार को आबंटित किया जायेगा न कि किसी अन्य को।

(iii) जहां पर उसी स्वतंत्र चुनाव चिन्ह का चयन कई उम्मीदवारों द्वारा किया जाएगा, वहां निर्वाचन अधिकारी द्वारा उस चुनाव चिन्ह का चयन स्वतंत्र उम्मीदवारों को देने हेतु लाटरी द्वारा किया जायेगा तथा जिसकी लाटरी निकलेगी वह स्वतंत्र चुनाव चिन्ह उस उम्मीदवार को आबंटित किया जायेगा न कि किसी अन्य को।

#### 8. जब एक उम्मीदवार को मान्यताप्राप्त दल द्वारा स्थापित माना जाएगा -

किसी गुरुद्वारा वार्ड के चुनाव हेतु जिस पर यह आदेश मान्य है, कोई उम्मीदवार किसी मान्यताप्राप्त धार्मिक दल द्वारा स्थापित केवल तभी माना जाएगा, यदि केवल;

(क) उम्मीदवार ने अपने नामांकन पत्र में इस आशय की धोषणा की है;

(ख) मान्यताप्राप्त धार्मिक दल द्वारा वार्ड के निर्वाचन अधिकारी को नामांकन भरने की अंतिम तिथि के 3.00 बजे सायंकाल से पहले इस आशय कि लिखित में सूचना फार्म 'ब' में दे दी गई हो;

(ग) उपरोक्त नोटिस फार्म 'ब' पर दल के अध्यक्ष, सचिव या अन्य कोई कार्यकारी सदस्य के हस्ताक्षर किये हो तथा अध्यक्ष, सचिव या अन्य कोई कार्यकारी सदस्य को यह नोटिस भेजने के लिए पार्टी ने अधिकृत किया हो;

(घ) उपरोक्त अधिकृत व्यक्ति का नाम हस्ताक्षर नमूना फॉर्म 'अ' में पार्टी द्वारा संबंधित गुरुद्वारा वार्ड के निर्वाचन अधिकारी तथा निदेशक, गुरुद्वारा चुनाव को नामांकन भरने की अंतिम तिथि के 3.00 बजे सायंकाल से पहले भेज दिया गया हो;

(ङ) फॉर्म 'अ' व 'ब' पर दल के कार्यकारी सदस्य या अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर केवल स्याही से किया गया हो। बशर्ते, उस कार्यकारी सदस्य या अधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रतिकृति हस्ताक्षर या रबड़ मुहर द्वारा किये गए हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे तथा फैक्स द्वारा भेजे गए फार्म भी मान्य नहीं होंगे।

नरिंदर सिंह, निदेशक (गुरुद्वारा चुनाव)

**DIRECTORATE OF GURDWARA ELECTIONS****NOTIFICATION**

Delhi, the 30th March, 2021

**F.No. 1/140/2012/DGE/ 3127.**—Whereas the superintendence, direction and control of elections to the Delhi Sikh Gurdwara Management Committee is vested in the Directorate of Gurdwara Elections, Govt. of NCT of Delhi, vide Rule 3 of the Delhi Sikh Gurdwara Management Committee (Election of Members) Rules, 1974;

And, whereas it is necessary to provide for the choice and allotment of symbols to the contesting candidates sponsored by the recognized parties and to the independent candidates for election to the Delhi Sikh Gurdwara Management Committee in the National Capital Territory of Delhi;

Now, therefore in exercise of the powers conferred under Rule 14 of the Delhi Sikh Gurdwara Management Committee (Election of Members) Rules, 1974 as amended vide Delhi Gazette Notification No. F.1/62/DGE/2008(2)/1695 dated 28/07/2010, the Director, Gurdwara Election of the National Capital Territory of Delhi hereby makes the following order:-

**1. Short Title, Application and Commencement :**

This order will be called the Delhi Sikh Gurdwara Management Committee Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 2021.

It shall come into force from the date of its publication in the Gazette of NCT of Delhi.

**2. Recognition of Religious Parties:**

The following reserved symbols have been allotted for the candidates set up by the Religious Parties which have been recognised under Rule 14 of the Delhi Sikh Gurdwara Management Committee (Election of Members) Rules, 1974 :-

S.No.	Name of recognized religious party	Notification No. and Date	Reserved symbol allotted
1.	Panthak Seva Dal	No. F. 1/140/2012/DGE/276 Dated: 31.01.2017	KISAN DRIVING TRACTOR
2.	Aam Akali Dal	No. F. 1/140/2012/DGE/283 Dated: 31.01.2017	BLACK BOARD
3.	JAGO- Jag Aasra Guru Ott (Jathedar Santokh Singh)	No. F.1/343/DGE/2020/5736 Dated: 21.07.2020	BOOK
4.	Panthik Akali Lehar	No. F. 1/454/DGE/2020/7861 Dated: 16.12.2020	CANDLE
5.	Sikh Sadbhawna Dal	No. F. 1/392/DGE/2020/189 Dated: 08.01.2021	TABLE LAMP
6.	Shiromani Akali Dal Delhi	No. F. 1/503/DGE/2021/3043 Dated : 28.03.2021	CAR

**3. A list of “Free Symbols” to be chosen by other (Independent) candidates is as under:-**

S.No.	Name of Symbol	S.No.	Name of Symbol
1.	ALMIRAH	12.	CUP & SAUCER
2.	AXE	13.	DIESEL PUMP
3.	BALL	14.	FLUTE

4.	BANANA	15.	FLOWER ON BRANCHES WITH LEAVES
5.	BANGLES	16.	GAS CYLINDER
6.	BASKET	17.	HAND PUMP
7.	BAT	18.	LOCK & KEY
8.	BRICK	19.	PRESSURE COOKER
9.	BRUSH	20.	TABLE
10.	CAMERA	21.	TELEVISION
11.	CEILING FAN	22.	WHISTLE

The symbol 'BUCKET' has been frozen due to pending litigation.

4. **Allotment of Symbols** – In every contested election a symbol shall be allotted to a contesting candidate in accordance with the provisions of this order and different symbols shall be allotted to different contesting candidates at an election in the same ward.
5. **Classification of symbols** –
  - (1) For the purpose of this order symbols are either reserved or free.
  - (2) Save as otherwise provided in this Order, a reserved symbol is a symbol which is reserved for a recognized religious party for exclusive allotment to contesting candidates set up by that party.
  - (3) A Free symbol is a symbol other than a reserved symbol.
6. **Choice of symbols by candidates of Recognised Religious Parties and allotment thereof** - A Candidate set up by a Recognized Religious Party in any Gurdwara Ward in Delhi shall choose, and shall be allotted, the symbol reserved for that party and no other symbol.
7. **Choice of symbols by other candidates and allotment thereof**
  - (i) Any candidate at an election in a Gurdwara Ward, other than a candidate set up by a Recognised Religious Party, shall choose, and shall be allotted, one of the symbols specified as free symbols.
  - (ii) Where any free symbol has been chosen by only one candidate at such election, the Returning Officer shall allot that symbol to that candidate, and to no one else.
  - (iii) Where the same free symbol has been chosen by several candidates, the Returning Officer shall decide by lot to which of those independent candidates that free symbol will be allotted.
8. **When a candidate shall be deemed to be set up by a Recognised Religious Party :-** For the purpose of an election from any Gurdwara Ward to which this Order applies, a candidate shall be deemed to be set up by a Recognised Party in any such Gurdwara Ward, only if,-
  - (a) The candidate has made the prescribed declaration to this effect in his nomination paper;
  - (b) A notice by the recognized party in writing, in form 'B' to that effect has, not later than 03.00 pm on the last date for making nominations, been delivered to the Returning Officer of the Ward;
  - (c) The said notice in form 'B' is signed by the President, the Secretary or any other office bearer of the party, and the President, the Secretary or such other office bearer sending the notice has been authorized by the party to send such notice.
  - (d) The name and specimen signature of such authorized person are communicated by the party, in 'Form A', to the Returning Officer of the Gurdwara Ward and to the Director, Gurdwara Elections, not later than 03.00 pm on the last date for making nominations; and

- (e) Forms 'A' and 'B' are signed, in ink only, by the said office bearer or person authorized by the party: Provided that no facsimile signature or signature by means of rubber stamp etc., of any such office bearer or authorized person shall be accepted and no form transmitted by fax shall be accepted.

NARINDER SINGH, Director (Gurdwara Election)